सुविचार

समाज में दूसरों को परेशानी में डालने वाले ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोगों और हमेशा दूसरों को दुःखी करने, देखने वाले लोगों और दुश्मनों की कमी नहीं है ! इसलिये इनसे हमेशा सावधान रहिए ! इनकी मीठी मीठी बातों में ही जहर छुपा होता है ! ऐसे ईर्ष्यालु लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों के घरों में आग लगाने का काम भी करते हैं ! ऐसे में तुम्हारा प्रसन्नचित्त, सुखी, शांत चित्त और सफल होना ही तुम्हारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी शिकस्त है ! ईर्ष्यालु लोगों से कभी भी हार मत मानिये और इनसे तत्काल संबंध विच्छेद कर लीजिए !

डॉ. मदनलाल गांगले जावरा जिला रतलाम

संपादकीय

भ्रष्टाचार पर चीन ने दिखाई सख्ती अब भारत की बारी

चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वर्ष 2025 में चीन ने लगभग 10 लाख लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया और उनमें से 9.83 लाख दोषी ठहराए गए। जो अब सजा भुगत रहे हैं। यह कार्यवाही सिर्फ संख्या दर्शानी वाली नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रमाण है जिसके दम पर चीन ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करने और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करने में सफल हुआ है। 2012 में शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद से भ्रष्टाचार उन्मूलन का काम शुरू हुआ। इस अभियान में अब तक 72 लाख से अधिक मामलों की जांच हो चुकी है। बैंकिंग, रक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सरकारी और निजी कंपनियां इत्यादि का कोई भी क्षेत्र कार्यवाही से अछूता नहीं रहा। चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की खास बात यह है, यहां 'बड़ा आदमी' या 'महत्वपूर्ण पद' पर बैठे लोग भी भ्रष्टाचारियों का बचाव नहीं कर पाते हैं। 2025 में चीन के 69 शीर्ष अधिकारी ,केंद्रीय मंत्री स्तर से लेकर प्रांतीय प्रमुखों के पदों पर बैठे हुए लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित होने के बाद सजा दी गई है। सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन और नेशनल कमीशन ऑफ सुपरविजन के जरिए पार्टी और सरकार ने यह संदेश दिया है, महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए लोगों को सत्ता को पिंजरे में रखना जरूरी है। टीवी डॉक्यूमेंट्री के जरिए भ्रष्टाचार के तरीकों और दोषियों के कबूलनामों को चीन में सार्वजनिक किया जा रहा है। इसके कारण भ्रष्टाचारियों में भारी भय व्याप्त है। आम जनता सजग हुई है। वह शिकायत करने के लिए अब सामने आ रही है। भारत में ठीक इसके विपरीत स्थिति है। भ्रष्टाचारी यदि सत्ता पक्ष का है तो उसके बचाव करने के लिए पूरा शासन और प्रशासन तंत्र सामने आ जाता है। 2014 के बाद से सत्ता पर बैठे हुए लोग और प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ भारत में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है जो कार्रवाई हो रही है वह छोटे-छोटे पदों में बैठे हुए लोगों के खिलाफ हो रही है। भारत में भ्रष्टाचार कॉरपोरेट तरीके से सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। भारत में भ्रष्टाचार के मामले अक्सर दर्ज ही नहीं होते हैं, वर्षों तक जांच के नाम पर लटके रहते हैं। बड़े नेता और अफसर कानूनी जटिलताओं, राजनीतिक संरक्षण और 'वाशिंग मशीन' जैसी प्रक्रियाओं से बचे रहते हैं। नतीजा यह कि भारत की आम जनता छोटे-छोटे से कामों के लिए भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रही है। भारत में नौकरशाही के साथ-साथ अब न्यायपालिका के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप बड़े पैमाने पर लग रहे हैं। राजनीतिक, प्रशासनिक एवं न्यायपालिका में जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको लेकर आम जनता में सिस्टम पर भरोसा कमजोर होता जा रहा है। भारतीय दंड संहिता में जो नए प्रावधान किए गए हैं, उसके अनुसार शासन की अनुमति के बिना भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई संभव ही नहीं है। भारत में एफआईआर दर्ज न होने से सरकार और उसके अधिकारी अपने आप को ईमानदार बताने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। आंकड़ों को बेहतर दिखाने और भ्रष्टाचार मुक्त बताने के लिए सरकार स्वयं भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम करती है। जिसके कारण भारत में भ्रष्टाचार दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। चीन का उदाहरण दिखाता है, भ्रष्टाचार से लड़ाई सिर्फ कानून बनाने से नहीं हो सकती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत और उसकी जांच बिना अपवाद, जांच करने एवं कठोर कार्यवाही करने से भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकता है। चीन में सरकार भ्रष्टाचार के मामलों से घबराती नहीं है। वह बेहतर शासन देने के लिए भ्रष्टाचारियों पर बिना किसी भेदभाव के कठोर कार्यवाही कर रही है। यह संदेश जनता को देती है। बिना किसी भेदभाव के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने के कारण चीन में सरकार की इमेज आम जनता में बहुत अच्छी है। चीन में भ्रष्टाचार करने से प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग डरने लगे हैं। यह स्थिति भारत में एक बार 1975 से 1977 के बीच में जब आपातकाल लगा था तब देखी गई थी। उस समय शासन और प्रशासन के सभी तंत्र भ्रष्टाचार और कानून विरोधी काम करने से डर रहे थे। भारत में यदि भ्रष्टाचार सचमुच कम करना है तो शुरुआत राजनीतिक ईमानदारी से करनी होगी। खासकर चुनावी खर्च और सत्ता के संरक्षण में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है उसको तुरंत नियंत्रित करने की जरूरत है। जहां सरकार के मुखिया का संकल्प मजबूत होता है, वहां सिस्टम सुधरता है। इस बात का प्रमाण आपातकाल का दौर था। चीन ने यह करके दिखाया है। बिना किसी भेदभाव के सख्ती और निरंतर कार्रवाई करने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। पिछले 11 वर्षों में भारत में केवल विपक्षियों के ऊपर कारवाई हो रही है। सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए अधिकारियों और न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने से भारत में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चीन में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, भारत के लिए वह एक सबक है। कानून सबके लिए बराबर हो, तभी लोकतंत्र और शासन तथा सामाजिक व्यवस्था मजबूत होगी। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब सभी पक्ष ईमानदारी से अपना काम करें। चीन ने यह करके दिखा दिया है।

विज़न 2047 और भ्रष्टाचार-मुक्त भारत का संकल्प

आदर्श और यथार्थ के बीच खड़ा धारा 17-ए का सवाल

वैश्विक स्तरपर भारत जब अपनी आज़ादी के सौ वर्ष पूरे करने की ओर बढ़ रहा है, तब विज़न 2047 के तहत एक ऐसा राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है जहाँ भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता केवल नारा नहीं, बल्कि शासन का मूल चरित्र हो। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में नीतिगत संकल्प तभी सफ़ल होते हैं, जब उन्हें लागू करने वाले कानूनी ढाँचे में विरोधाभास न हों।आज भारत में यही विरोधाभास भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-ए के रूप में सामने खड़ा है, जो एक ओर ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा का दावा करती है,तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार-मुक्त शासन के लक्ष्य को कमजोर करती प्रतीत होती है। ।भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 को इसी पृष्ठभूमि में बनाया गया था। इसका मूलउद्देश्य था लोकसेवकों को जवाबदेह बनाना रिश्वत,पद के दुरुपयोग और सत्ता के दुराचार को आपराधिक कृत्य घोषित करना,जनता के संसाधनों और अधिकारों की संवैधानिक रक्षा करना।इस अधिनियम की आत्मा यह मानकर चलती थी कि लोकसेवक का पद एक ट्रस्ट है, न कि विशेषाधिकार।वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जिसके तहत धारा 17-ए जोड़ी गई। इस धारा के अनुसार, किसी भी लोकसेवक के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान लिए गए निर्णयों या की गई सिफारिशों के संबंध में बिना पूर्व अनुमति कोई जांच, पूछताछ या एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती,यह अनुमति संबंधित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जानी होती है।सरकार का तर्क है कि हर दिन अधिकारी ऐसे निर्णय लेते हैं जिनका प्रभाव करोड़ों लोगों पर पड़ता है,हर निर्णय सभी को पसंद नहीं आता,यदि हर असंतुष्ट व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सके, तो इससे प्रशासन ठप हो जाएगा।अधिकारी भय के माहौल में काम करेंगे, जिससे विकास की गति धीमी होगी।सरकार के अनुसार, धारा 17-ए ईमानदार अधिकारियों को राजनीतिक प्रतिशोध से बचाने की एक आवश्यक ढाल है।लेकिन मूल प्रश्नः क्या सुरक्षा के नाम पर जांच पर ताला?यहीं से विवाद शुरू होता है। लोकतंत्र में जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्वतंत्रता होती है। यदि जांच शुरू करने के लिए भी उसी शासन से अनुमति लेनी पड़े, जिसके खिलाफ जांच संभावित है, जिसकी नीतियों और फैसलों में भ्रष्टाचार की आशंका है,तो क्या यह व्यवस्था जांच को निष्पक्ष बना सकती है?आलोचकों का कहना है कि यह प्रावधान जांच एजेंसियों को नाममात्र की स्वतंत्रता देता है और उन्हें कार्यपालिका के अधीन कर देता है। भ्रष्टाचार केवल रिश्वत लेने तक सीमित नहीं है।आधुनिक लोकतंत्रों में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नीतिगत फैसलों में होता है, टेंडर

और ठेके,लाइसेंस और अनुमति,खनन, भूमि, बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ,रक्षा और सार्वजनिक खरीद यदि इन्हीं फैसलों को जांच से बाहर कर दिया जाए, तो भ्रष्टाचार कानून का अस्तित्व ही निरर्थक हो जाता है।राजनीतिक संरक्षण और हितों का टकराव-धारा 17-ए का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह राजनीतिक संरक्षण को संस्थागत रूप दे सकती है। यदि किसी मामले में सरकार स्वयं शामिल हो,या उच्च स्तर पर मिलीभगत हो,तो अनुमति मिलने की संभावना न के बराबर रह जाती है। यह स्थिति हितों के टकराव का क्लासिक उदाहरण है। इसी चिंता को लेकर सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने इस17 ए धारा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हैं।याचिका में कहा गया कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 21 (न्यायपूर्ण प्रक्रिया) के खिलाफ है।यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता है।जांच में देरी से साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं,गवाह प्रभावित हो सकते हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में समय सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है।जैसे-जैसे समय बीतता है,फ़ाइलें बदली जा सकती हैं दस्तावेज गायब हो सकते हैं,डिजिटल सबूत मिटाए जा सकते हैं,गवाहों पर दबाव डाला जा सकता है।यदि जांच शुरू होने में ही महीनों लग जाएं, तो सच्चाई तक पहुँचना लगभग असंभव हो जाता है।शिकायत करने वाले के भीतर डर का माहौल पैदा किया जाता है तो ईमानदार नागरिक भी चुप हो जाता है,इस कानून का एक अप्रत्यक्ष लेकिन गहरा प्रभाव यह बनी रहे, और ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। साधियों बातें अगर हम इस मामले परवैश्विक दृष्टिकोणः दुनियाँ क्या करती है इसको समझने की करें तो अमेरिका ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे देशों में लोकसेवकों के खिलाफ़ जांच के लिए कार्यपालिका की पूर्व अनुमति की शर्त नहीं होती।स्वतंत्र अभियोजन और न्यायिक निगरानी को प्राथमिकता दी जाती है।यही कारण है कि वहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार पर भी कार्रवाई संभव हो पाती है। साधियों बात कर हम विजन 2047 और आगे का रास्ता क्या और कैसे होगा इसको समझने की करेंतो,यदि भारत वास्तव में विज़न 2047 के तहत भ्रष्टाचार-मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह शासन चाहता है, तो उसे धारा 17-ए जैसी लीकेजेस को बंद करना होगा,जांच एजेंसियों को वास्तविक स्वतंत्रता देनी होगी, और राजनीतिकइच्छाशक्ति को कानूनी ढांचे में बदलना होगा।

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं
गोंदिया महाराष्ट्र

कहानी

तांत्रिक चौराहा

'ज़रा बचकर चलो... कितनी बार कहा है, चौराहे के बीच से मत जाया करो!' यह वाक्य मेरे कानों में हर सुबह वैसे ही पड़ता है, जैसे अलार्म-बस फर्क इतना है कि अलार्म बंद किया जा सकता है, श्रीमती जी को नहीं। मॉर्निंग वॉक पर आगे-आगे मैं और पीछे-पीछे चौकन्नी निगाहों से मेरी चाल पर नज़र रखती हुई श्रीमती जी-मानो मैं किसी आतंकी संदिग्ध गतिविधि से घिरा हुआ हूँ।

हमारी वॉकिंग रोड के बीचोंबीच एक चौराहा है। नगर पालिका ने उसका कोई नाम नहीं रखा, इसलिए हमने रख दिया- 'तांत्रिक चौराहा'। शहर के तमाम भूत-प्रेत, बाधाएँ, टोटके, यंत्र-तंत्र और अतृप्त आत्माएँ यहीं आकर लोकतांत्रिक ढंग से डंप की जाती हैं। जैसे रेलवे कॉलोनी को जनता ने अनधिकृत रूप से मॉर्निंग वॉक ट्रैक बना लिया, वैसे ही इस चौराहे को तांत्रिकों ने अधिकृत कर्मस्थल घोषित कर दिया।

वैसे भी लगता है, इसे बनाते समय किसी खड़ूस योजना निर्माता को दिव्य संकेत मिल गया होगा। रात में न ट्रैफिक, न विरोध, न मोहल्ले की आँखें-बस खुला आसमान और गूढ़ अंधकार। टोटका करने वालों के लिए दुरात्माओं के निस्तारण का इससे बेहतर रिटायरमेंट प्लान क्या होगा?

बुधवार और रविवार की सुबह तो यह चौराहा किसी रहस्यमय प्रदर्शनी जैसा लगता है-आधे भरे मिट्टी के घड़े, लाल-पीले सिंदूर में लथपथ कपड़े,

आटे की गोलियाँ, ऐसे फूल जिनसे डर लगता है, नाग की तरह कुंडली मारी माला और नारियल जिन पर ऐसे मांडने बने होते हैं मानो अभी चीख पड़ेंगे। यह सब देखकर लगता है कि शहर की आधी बीमारियाँ यहीं इलाज के लिए लाई जाती हैं।

हमारे यहाँ बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं होती-वह किसी न किसी की नज़र, प्रेत या अतृप्त आत्मा का नतीजा होती है। दवा तभी असर करेगी, जब पहले आत्मा को नोटिस पीरियड देकर निकाला जाए। इसके लिए बाकायदा उद्योग खड़े हो चुके हैं-भभूत, अनुष्ठान, सवामणी, ताबीज़... और अंत में, अगर कुछ न चले, तो डॉक्टर।

झाड़-फूँक दिन में भी हो जाती है, लेकिन टोन-टोटका रात का खेल है। आत्मा को घर से निकालकर चौराहे पर छोड़ा जाता है-ताकि वह इंतज़ार करे कि कोई राहगीर आए, ठोकर खाए और आत्मा उससे चिपक जाए। 'आ बैल, मुझे मार' का आध्यात्मिक संस्करण। कई बार तांत्रिक रंगे हाथों पकड़े भी गए हैं, इसलिए अब यह सब बेहद गोपनीय ढंग से होता है। कुछ अघोरी श्मशान में क्रियाएँ करते पकड़े गए-और जनता ने उनकी जीते-जी कपाल क्रिया कर दी। एक दिन हम यूँ ही मस्ती में वॉक पर निकले। कानों में ईयरफोन-मतलब ध्वनि-विस्तारक यंत्र-लगे थे। अचानक मेरा पैर एक छोटे से मिट्टी के घड़े से टकराया और वह लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। पीछे-पीछे आ रही श्रीमती जी सन्न रह गईं। उस क्षण उन्हें लगा, बिन बुलाये मेहमान की तरह दुरात्मा प्रवेश कर चुकी है। इसके बाद से उनकी नज़र में मैं बदल गया। मेरे हँसने, बोलने, खाने, चलने-सबमें उन्हें कुछ और ही दिखने लगा। निष्कर्ष साफ था-मेरे भीतर किसी और आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। यूँ तो यह संवाद मैं सालों से सुन रहा हूँ कि 'अब तुम पहले जैसे नहीं रहे', जबकि सच यह है कि इस परिवर्तन में उनका योगदान ऐतिहासिक है। फिर भी दोष मुझ पर।

स्थिति यहाँ तक पहुँची कि उनकी नज़र में मैं पूरी तरह एक्सचेंज हो चुका था। असली पति शायद चौराहे पर छूट गया और घड़े से कोई और घर आ गया। नतीजा-ताबीज़, झाड़-फूँक, टोटकों की बौछार और सघन निगरानी। एक दिन 'होल बॉडी निरीक्षण' के लिए एक पहुँचा हुआ तांत्रिक बुलाया गया। जब उसने प्रमाण-पत्र जारी किया कि 'हाँ, यही मूल पति है', तब जाकर श्रीमती जी के भीतर बैठा भूत बाहर निकला।

लेकिन अब हाल यह है कि उस चौराहे से गुज़रते समय मैं बॉर्डर के सिपाही जैसा सतर्क रहता हूँ। पीछे से कमांडर की आवाज़ आती रहती है- 'बीच से मत जाना!' मन में हर बार यही डर-कहीं कोई आत्मा फिर न चिपक जाए।

दोस्तों को भी चेतावनी दे दी है-

'भाई, संभल के चलना... ये तांत्रिक चौराहा है!'

-डॉ मुकेश असीमित

डरावनी हज़ामत

लघुकथा

मैंने एक बड़े ही आधुनिक सलून में हजामत बनवाई। आधुनिक शब्द केवल बाहर लगे बोर्ड को ही शोभायमान कर रहा था। अंदर सब कुछ बेहद सामान्य था। एक चरमराती कुर्सी पर बैठते ही तथाकथित हेयर डिजाइनर ने काले रंग का एक कपड़ा शरीर पर लपेट दिया और गर्दन पर एक रस्सी बांध दी। दम घुटते-घुटते बचा। बाल काटते समय वह मेरी गर्दन कभी दायीं तरफ धकेलता तो कभी बायीं तरफ। कभी अपनी ओर खींच लेता तो कभी आगे को झुका देता। उसका उस्तरा बड़ा धारधार था तो कैंची भी बड़ी चमकदार। उसके हाथ बड़ी बहकी-बहकी चाल

चल रहे थे। मेरे तो प्राण अधर में अटक गए। मेरे मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहे थे। मैंने कुछ कहना चाहा। मगर उसके रोबीले चेहरे के सामने मेरे कंठ सूख गए। ऊपर में एक टीवी टंगी थी। स्क्रीन पर हिंसात्मक दृश्य चल रहे थे। वह रह रहकर ऊपर हिंसात्मक दृश्य भी देखने लगता। मेरे तो प्राण निकल रहे थे। किसी तरह संकट की यह घड़ी बीती। पैसा देते वक्त मैंने उससे धीरे से कहा, 'भाई साहब, मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है। आपको मेरी गर्दन को धीरे-धीरे हिलाना था। मुझे बड़ी तकलीफ हुई है।' उसके चेहरे पर गुस्सा आकर घनीभूत हो गई। लेकिन उसने धीमे स्वर में कहा, 'आपको उस समय कहना था।' मैंने कहा, 'मैं कहना चाहता था। पर कैसे कहता?' उसने पूछा 'क्यों? क्या दिक्कत थी?' मैंने कहा, 'इंसान को स्थिति की नजाकत समझनी पड़ती है। आप टीवी पर हिंसात्मक दृश्य देख रहे थे और आपके हाथ में धारधार उस्तरा भी था! मेरा कहना कहीं बुरा लग जाता तो?'

-ज्ञान. मुकेश वर्मान्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी

माया बड़ी ठगनी

एक बार एक गुरूजी आश्रम में अपने शिष्यों को भक्ति का उपदेश देते हुए समझा रहे थे कि बच्चों पक्के साधक बनो,कच्चे साधक ना बने रहो। कच्चे पक्के साधक की बात सुनकर एक शिष्य के मन में सवाल हुआ,उसने पूछ ही लिया गुरूजी,ये पक्के साधक कैसे बनते हैं ? गुरूजी मुस्कुराये और बोले, बेटा एक कहानी सुनाता हूं। एक गाँव में एक हलवाई रहता था,हलवाई हर रोज कई तरह की मिठाइयाँ बनाता था,जो एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट होती थी। आस पास के गाँवो में भी हलवाई की बड़ी धाक जमी हुई थी,अक्सर लोग हलवाई की मिठाईयों और पकवानों का आनंद लेने आते थे।

एक दिन हलवाई की दुकान पर एक पति पत्नीआये उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा भी था,जो बहुत ही चंचल था। उसके पिता ने हलवाई को हलवा बनाने का आदेश दिया ! वह दोनों तो प्रतीक्षा करने लगे,लेकिन वह बच्चा बार-बार आकर हलवाई से पूछता,हलवा बन गया क्या ? तब हलवाई कहता अभी कच्चा है,थोड़ी देर और लगेगी। वह थोड़ी देर प्रतीक्षा करता और फिर आकर हलवाई को आकर पूछता खुशबू तो अच्छी आ रही है,हलवा बन गया क्या ? हलवाई कहता अभी कच्चा है,थोड़ी देर और लगेगी। एक बार,दो बार,तीन बार,बार-बार उसके ऐसा पूछने से हलवाई थोड़ा चिढ़ गया। इस बार बच्चे के पूछते ही हलवाई ने एक प्लेट उठाई और उसमें कच्चा हलवा रखा और बोला ले बच्चे खा ले, बच्चे ने खाया तो बोला ये हलवा तो अच्छा नहीं है। हलवाई फौरन बोला अगर अच्छा हलवा खाना है तो चुपचाप जाकर वहाँ बैठ जाओ और प्रतीक्षा करो। इस बार बच्चा चुपचाप जाकर बैठ गयाद्व जब हलवा पककर तैयार हो गया तो हलवाई ने थाली में सजा दिया और उनकी टेबल पर परोस दिया। इस बार जब उस बच्चे ने हलवा खाया तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने हलवाई से पूछा हलवाई काका ! अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसे खाया था तब तो यह बहुत खराब लगा था अब इतना स्वादिष्ट कैसे बन गया ? तब हलवाई ने उसे मुस्कुराकर,प्रेम से समझाते हुए कहा बच्चे जब तू ज़िद कर रहा था, तब यह हलवा कच्चा था और अब यह पक गया है, कच्चा हलवा खाने में अच्छा नहीं लगता यदि फिर भी उसे खाया जाये तो पेट खराब हो सकता है लेकिन पकने के बाद वह स्वादिष्ट और पोष्टिक हो जाता है। अब गुरूजी अपने शिष्य से बोले,बेटा कच्चे और पक्के साधक का फर्क समझ में आया कि नहीं ? शिष्य हाथ जोड़कर बोला गुरूजी हलवे के कच्चे और पक्के होने की बात तो समझ आ गई, लेकिन एक साधक के साथ यह कैसे होता है गुरू जी बोले बेटा साधक भी हलवाई की तरह ही है, जिस तरह से हलवाई हलवे को आग की तपिश से धीरे धीरे पकाता है,उसी तरह साधक को भी स्वयं को निरंतर साधना से पकाना पड़ता है। जिस तरह हलवे में सभी आवश्यक चीज़ें डालने के बाद भी, जब तक हलवा कच्चा है,तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता द्य उसी तरह एक सेवक भी चाहे कितना ही ज्ञान जुटा ले कर्मकांड कर ले जब तक भगवान का ध्यान,सुमिरन और भजन की अग्नि में नहीं तपता,तब तक वह कच्चा ही रहता है। जिस तरह हलवे को अच्छे से पकाने के लिए लगातार उसका ध्यान रखना पड़ता है,उसी तरह साधक को भी अपने मन की चौकीदारी करते रहना पड़ता है। जब पकते-पकते हलवा का रँग बदल जाये उसमें से खुशबु आने लगे और उसे खाने में आनंद का अनुभव हो,तब उसे पका हुआ कहते है। उसी तरह जब साधना, साधक और साध्य तीनों एक हो जाये, साधक के शरीर से प्रेम की खुशबू आने लगे तब समझना चाहिए कि साधक पक्का हो चुका है। जब तक सेवक का सुमिरन पक्का न हो जाये,उसे सावधान और सतर्क रहना चाहिए क्योंकि माया बड़ी ठगनी है,कभी भी साधक को अपने रास्ते से गिरा सकती है.अतः साधक को नित्य-निरंतर सुमिरन और भजन से खुद को मजबूत बनाना चाहिए।

प्रेमनारायण वेद
इंदौर